

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/अका./2024/199

जबलपुर, दिनांक : 5/6/2024

प्रति,

संचालक/प्राचार्य
समस्त अशासकीय विधि महाविद्यालय
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर
(जबलपुर, कटनी, डिण्डौरी, मण्डला एवं नरसिंहपुर)

विषय :- कॉलेज कोड 28 के तहत नियुक्त प्राचार्य को 65 वर्ष की आयुपूर्ण हो जाने के उपरान्त भी नियमित नियुक्त करने बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत शिकायत प्राप्त हो रही है कि महाविद्यालय (विधि) में पदस्थ प्राचार्य एवं शिक्षक 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के उपरान्त भी कार्यरत् है।

अतः महाविद्यालय (विधि) में पदस्थ प्राचार्य एवं शिक्षक की जानकारी अधोलिखित अनुसार 10/06/2024 तक ई मेल आई. डी.-rdvvcollegecod28@gmail.com में अनिवार्यतः भेजें, यथा :-

क्रं.	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य एवं शिक्षकों के नाम	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	आयु	रिमांक
1.						

कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक : 5/6/2024

पृ० क्रमांक/अका./2024/199"31"

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. समस्त विधि महाविद्यालय।
2. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।

सहायक कुलसचिव(अका०)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर